विचार : नीति धारणा के अनैच्छिक निहितार्थ

रोमन सम्राट मार्कस ओरेलियस का कहना है कि 'जो कुछ हम सुनते हैं वह विचार है और तथ्य नहीं है। जो कुछ हम देखते हैं वह परिपेक्ष्य (प्रस्पेक्टिव) होता है सत्य नहीं।' जब हम किसी नीति को क्रियान्वित करते हैं तो उस पर भी यह तथ्य लागू होता है। आरम्भ में कोई निर्णय सही प्रतीत होता है और उसमें दूरदर्शिता नजर आती है किन्तु बाद में वही निर्णय गलत या पूरी तरह से अनर्थ साबित होता है। जैसे ही हमारी धारणा बदलती है वैसे ही संबंधित विषय पर हमारे विचार भी बदल जाते हैं।

हरित क्रांति पर विचार करें, यह राष्ट्र के लिए वरदान थी और इसने हमें प्रभू सत्ता सम्पन्न राज्य के रूप में बनाने में सहायता की। जो राज्य या राष्ट्र अपना भरण पोषण नहीं कर सकता वह कभी सवतंत्र नहीं रह सकता। किन्तु आज बहुत सी गैर सरकारी संस्थाएं हरित क्रांति की आलोचना करती हैं यद्यपि यह संविधान बनने के बाद स्वतंत्र भारतीय इतिहास की एक अति महत्वपूर्ण घटना है। उनका दावा है कि हरित क्रांति से भूमि की उर्वरता नष्ट हुई और अधिक जल, रसायन और उर्वरक आदि का उपयोग होता है। वास्तविकता यह है कि हरित क्रांति की सफलता के पश्चात एक प्रकार का संतोष होता है और इस संतोष से बहुत सी विस्तार की सेवाएं समाप्त हो चुकी हैं। किसानों को बिना किसी उचित सलाह के किसान अधिक लाभ कमाने के लिए अधिक उपकरणों का उपयोग करते हैं ताकि वे अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकें। इस मुद्दे की ये दो अलग–अलग धारणाएं हैं। खींची जाने वाली दा रेखाएं कभी सीधी नहीं हो सकती।

कुछ उदाहरणों के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ सरकारी नीतियों से पंजाब में मेरे गांव मौजगढ़ पर क्या प्रभाव पड़ा। राजनीतिक मानचित्र पर हमारे क्षेत्र को ढूंढ़ना सरल है – हम उस स्थान पर हैं जहां पर पाकिस्तान, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान मिलते हैं। हमारी इस संस्कृति के संगम पर हिन्दूकश के पार के लोगों से कई शताब्दियों से हमले हुए और कई छापे पड़े।

किन्तु बहुत अधिक प्रभाव तब तक नहीं पड़ा था जब तक अंग्रेज सम्राट की नीतियों से वर्ष 1947 में उपमहाद्वीप को अलग–अलग कर दिया गया, जिसने हमें बांट दिया और हमारे पड़ोसी के रूप में वे सरहद के उस पार हो चुके हैं वह भी सदा के लिए। दूसरा परिवर्तन सकारात्मक था – सिंचाई पद्धति का आरम्भ जो हमारे खेतों को पानी उपलब्ध कराता है और हम उसी पानी से अपनी फसलों को उगा रहे हैं।

किन्तु एक वस्तु जिसमें परिवर्तन नहीं हुआ और उस पर अधिक विचार नहीं किया गया – पकाने के लिए ईंधन और पशुओं के लिए चारा उपलब्ध कराना। नहर के सिंचाई जल की आपूर्ति से पहले ईंधन और चारा जंगलों से इक्ट्ठा किया जाता था या वार्षिक फसल से बचाया जाता था क्योंकि उस समय जनसंख्या कम थी तथा सबके लिए उत्पादन पर्याप्त था।

जब इस बात की गारंटी थी कि कृषि के लिए नहर का पानी लगातार मिलता रहेगा तो लोगों ने फसलों में परिवर्तन करके गेहूं और कपास उगाना आरम्भ किया। मूल ईंधन और पशु चारा था गेहूं की भूसी, सरसों और बिनौला। पांच वर्ष पहले केन्द्रीय सरकार ने जैव कूड़े से नवीकरण योग्य उर्जा स्रोत की नई नीति की घोषणा की थी। सरकार ने प्रोत्साहन उन लोगों को दिया जो कृषि कूड़े को बिजली में परिवर्तित करने के एकक लगाना चाहते थे। अचानक ही जो वस्तु निशुल्क मिल रही थी उसे जिंस का दर्जा दिया गया और वह भूमिहीन श्रमिकों के लिए उपलब्ध नहीं रह गई थी। जिंसीकरण से भूमि वाले किसानों को अतिरिक्त आय का स्रोत मिल गया किन्तु छोटे और भूमिहीन श्रमिक ईंधन के लिए वंचित हो गए। 'नवीकरण उर्जा स्रोतों के लिए निधि' विषय पर विश्व बैंक के एक सम्मेलन में मैंने भाग लिया उसमें इस प्रकार के कार्यक्रमों को दर्शाया गया ताकि स्वच्छ उर्जा और पर्यावरण को लाभ मिल सके। जब मैंने भूमिहीन लोगों की ईंधन समस्या के बारे में पूछा तो उपाध्यक्ष ने उत्तर दिया कि सरकार उन्हें शीघ्र ही एलपीजी गैस के सिलैंडर उपलब्ध कराएगी। मैं निरूतर हो गया और यह एक नीति धारणा उन व्यक्तियों से थी जो नीति को प्रभावित करते हैं।

मौजगढ़ एक शुष्क क्षेत्र है और इसका भूमिगत जल नमकीन है, अतः वर्ष 1960–70 में उपलब्ध कराई गई सिंचाई सुविधा से पहले कई पीढ़ियों से वर्षा आधारित भूमि पर ही कृषि की जाती थी। इस क्षेत्र में स्टैपल डाईट के रूप में अधिकतम बाजरा जैसे अनाथ थे जैसे ज्वार, जौं, बाजरा, जई, और चना। बहुत कम गेहूं उगाया और खाया जाता था और इसका आरम्भ तब हुआ जब नोरमैन बोरलैग मैक्सिको से छोटे स्टैपल गेहूं की 16 टन मात्रा के साथ यहां पहुंचे। आज हर व्यक्ति गेहूं उगाता है और स्टैपल डाईट गेहूं ही बन चुका है। इस प्रकार जब यह क्षेत्र आर्थिक रूप से सम्पन्न हो रहा है तो किसानों की डाईट में भी परिवर्तन हो रहा है। प्रत्येक कार्यवाही की प्रतिक्रिया होती है; प्रत्येक अच्छे कार्य के अप्रत्यक्ष प्रभाव भी पडते हैं। सभी लाभों को पाने के लिए कुछ कीमत तो चुकानी पड़ती है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा से किसानों द्वारा किए जाने वाले उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के अन्तर्गत खरीदे जाने वाले उत्पादन का 90 प्रतिशत भाग गेहूं और चावल होते हैं। हमें इन दोनों फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाती है ताकि राष्ट्र के लोगों का पेट भरा जा सके। इस कारण देश में अधिकतम किसान इन फसलों को ही उगा रहे हैं। किन्तु इस मोनोकल्चर से कई प्रकार के नुक्सान हो रहे हैं जैसे अधिक पानी का उपयोग, भूजल में गिरावट और राष्ट्र की विविध फसलों की परम्परा को नष्ट करना। इस नीति से घर पर ही आहार उपलब्ध कराने में सहायता मिली है और पूरे देश की संस्कृति में बदलाव आया है क्योंकि प्रत्येक संस्कृति के लिए डाईट एक अभिन्न अंग है। किसानों और देश के लिए दीर्घकालिक विश्लेषण की सुविधा नहीं है जिसे सम्मिलित करना और इसका परिणाम रखना अति कठिन है। गेहूं और चावल पर अधिक ध्यान देने से कार्बोहाईड्रेट की उपलब्धता में वृद्वि हुई है और प्रोटिन की हानि हुई है। प्रोटीन के महंगे आयात की लागत को कम करने के लिए सरकार अब फली (लेक्यूक्स) या दालों के भी न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा रही है।

शहरी उपभोक्ताओं के पक्ष में मुद्रास्फीति नियंत्रण हेतु और कम मूल्य रखने के लिए सरकार ने कृषि जिंसों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है। किसानों पर जबरदस्ती सब्सिड़ी का बोझ ड़ाल दिया गया है। किसान अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में जिंसों का निर्यात नहीं कर सकते जहां पर अधिकतम जिंसों का मूल्य काफी ऊपर है। अतः किसानों को उनके उत्पादन का बेहतर मूल्य नहीं मिल पाता और वे शुद्ध लाभ प्राप्त करने के लिए अधिक उपकरणों (उर्वरकों और रसायनों) का उपयोग करते हैं। उत्पादकता बढ़ाने के लिए और शहरी उपभोक्ताओं की सहायता करने से भूमि की उर्वरता नष्ट हो रही है और भू–जल क्षीण होता जा रहा है।

किसी नीति की उलझन को समझने में सामाजिक प्रभावों के विश्लेषण की आवश्यकता है। विश्वसनीय आंकड़ें उपलब्ध नहीं हैं और सामाजिक प्रभाव विश्लेषण का विज्ञान भारत में अभी तक विकसित नहीं हुआ है। गलत नीतियों के द्वारा और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा सार्वजनिक हस्तक्षेप करने से हमारे ऊपर थोपी गई नीतियों से जो अवसर हमने खोए उनकी लागत की गणना करने की आवश्यकता है।

उर्वरकों और रसायनिक कीटनाशकों के उपयोग को कम करने के लिए हमें जैव तकनीकी के नए पौधों में निवेश करना होगा जो पौधों को विकसित करते हैं और सहायक उपकरणों का अधिकतम उपयोग करते हैं और संभवतः अपने नाईट्रोजन की आवश्यकता को स्वयं पूरा करते हैं और इसमें कीड़ा नहीं लगता है। कृषि मंत्रालय का कुछ कहना है और पर्यावरण मंत्रालय कुछ और कहता है जो किसानों को अधिकतम कीटनाशक और उर्वरकों का उपयोग करने के लिए कहता है जबकि हमारे किसानों को अन्य देशों के उन किसानों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है जो नवीनतम तकनीक अपना रहे हैं। भारत में किसानों को शहरी धारणा और नीति से हानि हो रही है।

जैव कृषि के प्रस्तावकों का कहना है कि यदि कोई मुख्य फसल जैसे गेहूं, चावल, मक्का या सोयाबीन पौष्टिकता की मात्रा को 50 प्रतिशत बढ़ाती है तो ऐसा करने पर उर्वरकों का उपयोग 50 प्रतिशत तक कम हो जाता है और बहुत से फली के पौधों की तरह वे अपनी पौष्टिकता की मात्रा को स्वंय से ही ग्रहण कर लेते हैं। कितना अच्छा हो यदि हम पौधों को मोडिफाई करके कीटनाशकों का कम उपोग करें और उन पर शीघ्र कीड़ा न लगे या जिनके लिए कम मात्रा में अर्थात् 50 प्रतिशत कम कीटनाशकों की आवश्यकता होती है जैसे बीटी कॉटन। बैंगन पर भी बहुत वाद–विवाद हो रहा है और भारत में इसका अधिकतम उपयोग होता है इसमें स्वीकार्य कीटनाशक की मात्रा दोगुणी से भी अधिक पाई जाती है। इस प्रकार के हानिकर बैंगन को खाने के लिए हम पर दबाव नहीं डाला जाना चाहिए। कई कार्यों में परफैक्शन है तो कई कार्यों में दुविधा और इसी प्रकार की कुछ अन्य समस्याएं हैं।

लिखित (ब्लेक एण्ड व्हाईट) में कुछ नहीं है प्रत्येक नीति और निर्णय के कुछ दृष्टिकोण होते हैं जिसमें कुछ का भाव धूमिल (ग्रे) होता है और कुछ का भाव स्पष्ट होता है। इन सबसे व्यापार का कोई संबंध नहीं है; मात्र एक के लिए लाभ के उद्देश्य से और अन्य को हानि के उद्देश्य से होता है। नीति निर्माता और सलाहकार एवं गैर सरकारी संस्थाएं इन विषयों पर केवल सही या गलत की दृष्टि से

गलत तरीके से देखती हैं। उनका अक्खड़पन और अनभिज्ञता देश के लिए घातक है क्योंकि समझने के पश्चात ही किसी कार्य को तरीके से किया जाना होता है।

संपादकीय

हमने कपास की अप्रतिबंधित निर्यात की अनुमति देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखा था। इस पत्र की एक प्रति को इस अंक में प्रकाशित किया गया है। हमने यह पत्र पिछले महीने लिखा था, और कपास का दाम न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के वायदा बाजार में गिर गया है। इसका मतलब यह हो सकता है कि अगले साल कपास की कीमत लगभग रू. 3,300/– प्रति क्विंटल होगी।

भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग 2020 तक 2 मिलियन लोगों को रोजगार देगा तथा इसका भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 15 प्रतिशत का योगदान होगा, यही योगदान 60 मिलियन किसानों द्वारा कृषि के जरिऐ है। यह उचित नहीं है तथा यह पिछले कुछ दशकों की अवधि में विभिन्न सरकारों की गलत प्राथमिकताओं का एक परिणाम है। यह कुछ ऐसा है जो कि रातोंरात नहीं हो सकता और न ही एक सप्ताह में दूर हो जाऐगा।

भारत एक सीमांत और छोटे जमीन मालिकों का देश है तथा छोटे धारकों की उत्पादक क्षमता में कई गुना वृद्धि करना ही उपलब्ध विकल्प है। बागवानी क्षेत्र अपने फायदों के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, परन्तु उसमें उच्च पूंजी लागत शामिल है। भारत की सिर्फ 1 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि को संरक्षित खेती के तहत कवर करने के लिऐ रू. 30,000/– करोड़ की आवश्यकता होगी। और यह उच्च लागत कहीं अधिक उत्पादक है वर्तमान में सरकार द्वारा अपनाऐ गऐ अन्य उपायों के मुकाबले जैसे कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक। क्या यह बेहतर नहीं है कि सरकारी सब्सिड़ी पर निर्भर रहने के बजाऐ कृषि के बुनियादी ढांचे में निवेश किया जाऐ जिससे कि लोग आत्मनिर्भर बन सकें ? कृप्या बिल पर तुरंत हमें अपनी राय भेजें।

मैंने 2012–13 मौसम के लिऐ गन्ना मूल्य नीति की रिपोर्ट पर CACP द्वारा आयोजित बैठक में भाग लिया। यदि किसी भी सदस्य को हमारे द्वारा दिए गऐ सुझाव की प्रति चाहिए तो कृप्या प्रधान कार्यालय से संपर्क करें। जर्मन होल्स्टीन एसोसिएशन ने DHV – Presstour 2011 का आयोजन किया जिसमें भारत कृषक समाज के वरिष्ठ सदस्य तथा अध्यक्ष अजमेर डेयरी, श्री राम चन्द्र चौधरी ने भाग लिया।

आदरणीय प्रधानमंत्री जी,

विषय : कपास की अप्रतिबंधित निर्यात की अनुमति दें।

हमने आपको पिछले साल गेहूँ, चावल और कपास के निर्यात की अनुमति के लिए लिखा था। जैसे कि हम लगातार आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप सभी कृषि जिंसों के निर्यात की अनुमति दें, तथा एक बार फिर से दोहराना चाहते हैं कि आप कपास की अप्रतिबंधित निर्यात की अनुमति दें। कपास कोई खाद्य वस्तु नहीं है, इसलिऐ प्रतिबंध के किसी भी प्रकार के लिए अर्हता प्राप्त नहीं करता है। भारत के किसानों को लगातार मजबूर किया जा रहा है कि वह उद्योगों को सब्सिडाईज करें।

1990 के दशक के बाद से, कपास को ओ.जी.एल. के तहत प्रतिबंध के बिना निर्यात की अनुमति दी गई थी, भले ही भारत समय–समय पर कपास का शुद्ध आयातक रहा है। बीटी कपास के शुरूआत के साथ कपास का उत्पादन 2002 के बाद से 140 प्रतिशत बढ़ गया है। फिर भी, पिछले साल के बाद से कपास के निर्यात को विभिन्न प्रतिबंध के तहत अनुमति दी है।

इसके अलावा, इस साल कपास बुआई के तहत आने वाली भूमि रिकॉर्ड़ स्तर को छू जाऐगी। पिछले साल के उत्पादन से बचा अनावश्यक स्टॉक इस साल नई आगमन की कपास की कीमतों को वश में रखेगा।

यह समझ में आता है कि भारत में मौजूद कपास के स्टॉक को समाप्त कर दिया जाऐ ताकि देश को नुकसान ना उठाना पड़े, जैसा कि न्यूयॉर्क के वायदा बाजार में कपास की गिरती कीमतों से स्पष्ट है (24 मई, 2011 तक) :

महीने	जुलाई, 11	अक्तूबर, 11	दिसम्बर, 11	मार्च, 12	मई, 12	जुलाई, 12
निर्धारित दाम (अमरीकी डॉलर)	153.88	138.68	125.76	116.62	113.34	110.94

भारत में कपास की कीमत पहले से ही 30 प्रतिशत तक गिर गई है।

1 अप्रैल, 2010 के बाद से नीति में एकाधिक परिवर्तन ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय कपास के निर्यात के विश्वास में श्ररण का नेतृत्व किया है। दुनिया भर में कपास की कीमतों की तुलना में भारतीय कपास की कीमत 20 प्रतिशत कम है।

कपास उपभोक्ता उद्योग पर कपास के आयात करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, विपरीत चिन के जहां उद्योग कपास के आयात पर प्रतिबंध और करों के अधिन है। कपास के किसानों के बीच एक सामान्य

धारणा महसूस की जा रही है कि कपास के निर्यात पर प्रतिबंध तमिलनाडु के कपास उद्योगों के दबाव के तहत कपास की कीमतों को वश में रखने के लिऐ किया गया है।

कपास सलाहकार बोर्ड़ (सीएबी) कृषक समुदाय के समुचित प्रतिनिधित्व के बिना पक्षपातपूर्ण कार्य कर रहा है तथा भ्रमक जानकारी प्रदान कर रहा है। पर्याप्त नियंत्रण और संतुलन के बिना अपने वर्तमान रूप में सीएबी को तुरंत बंद कर देना चाहिऐ।

नीति में परिवर्तन और घोषणाओं के बारे में प्रारंभिक निर्णय लेना बहुत महत्वपूर्ण है। किसानों को उनकी फसल की बेहतर कीमत का एहसास कराने के लिए, एक अनुकूल निर्णय तुरंत घोषित किया जाना चाहिए।